न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

R-1793-I/16

रामसखी पत्नि माधव प्रसाद मिश्रा
निवासी छतरपुर जिला छतरपुर .....निगरानीकर्ता

विरूद्व

1. श्रीमति कुसुम तिवारी पत्नि रविन्द्र तिवारी
2. आदित्य तनय रविन्द्र तिवारी
3. आदर्श तनय रविन्द्र तिवारी
   क्र 2 व 3 नाबालिग बली मां श्रीमति कुसुम तिवारी
   तीनो निवासी असाटी मोहल्ला छतरपुर
4. बिहारी लाल तनय जगतराज नायक
5. श्रीमति सरस्वती पत्नि नारायणदास मिश्रा
6. मुन्नी देवी पुत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा
7. जयहिन्द मोहन तनय बालाप्रसाद चौरसिया **फौत**
8. अमित तनय सुरेन्द्र चौरसिया
9. सुरेन्द्र कुमार तनय हरदयाल चौरसिया
   सभी निवासी छतरपुर जिला छतरपुर .....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्र 14/बी–121/2014–15 पारित आदेश दिनांक 27/05/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सौंरा स्थित भूमि खसरा क्र 1658, 1659, 1660 रकवा 0.66 एकड जिसका बन्दोवस्त उपरांत नया खसरा क्र 2336 बनाया गया था। उक्त वादग्रस्त भूमि के बगल की भूमि खसरा क्र 2248/3 के सीमांकन होने पर निगरानीकर्ता को ज्ञात हुआ कि बंदोवस्त के उपरांत नक्शे में उसके रकवे में 3 जरीब 20 कडी कम हो गयी है जिस कारण से उसके द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष संहिता की धारा 107 के अंतर्गत

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R1293-I/16 जिला Chhatarpur

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-6-16	1– आवेदक के अधिवक्ता नितेन्द्र सिंधई उपस्थित उनके तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0 के प्र.क्र.14/बी–121/वर्ष 14–15 में पारित आदेश दिनांक 27/5/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि ग्राम सौंरा स्थित खसरा नंबर 1658, 1659, 1660 कुल रकवा 0.66 एकड जिसका बंदोवस्त उपरांत नया खसरा 2336 बनाया गया आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी। आवेदक की भूमि से लगी हुई भूमि खसरा क्र 2248/2 का जब सीमांकन किया गया तब आवेदक को ज्ञात हुआ की उसकी भूमि नक्शे में 3 जरीब 20 कडी कम बताए जाने पर आवेदक द्वारा संहिता की धारा 107 के अंतर्गत नक्शा सुधार हेतु एक आवेदन अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अपर कलेक्टर द्वारा समस्त जांच उपरांत नक्शा सुधार किए जाने का आदेश पारित किया जिसके विरूद्व अनावेदक क्र 1 द्वारा अपर आयुक्त सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें अपर आयुक्त सागर द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 4– आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उसकी भूमि का रकवा 0.270 हे तथा मौके पर इतनी भूमि मौजूद है, परंतु नक्शे में बंदोवस्त त्रृटि के कारण कम दिखाया गया है। अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा तहसीलदार छतरपुर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जिसमें संलग्न राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन में स्पष्ट था कि पुराने व नये नक्शे में काफी भिन्नता पायी गयी है साथ ही साथ अपर कलेक्टर द्वारा अधीक्षक भू अभिलेख छतरपुर को आदेशित कर टीम का गठन किया गया तथा उनके दिनांक 31/7/14 करे पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा भी नक्शे में त्रृटि पायी जाना प्रतिवेदित किया गया था। आवेदक का यह भी तर्क है कि इस न्यायालय द्वारा मौके का जो सीमांकन किया गया उसको दिनांक 3/7/13 को निरस्त कर दिया गया था तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 11/12/13 के द्वारा इस न्यायालय का आदेश यथावत् रखा गया था।	

5— आवेदक का यह भी तर्क है कि अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना आदेश पारित किया है तथा प्रकरण का एक पक्षकार जयहिन्द मोहन की मृत्यु हो जाने के पश्चात् भी उसके विरूद्व आदेश पारित किया गया है।

6— आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । अपर आयुक्त सागर की आदेश पात्रिका दिनांक 2—11—15 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें अत्यन्त काटा छांटी की गयी है तथा आदेश पात्रिका दिनांक 29/2/16 को प्रकरण में आगामी तिथि 12/5/16 प्रदाय की गयी थी परंतु दिनांक 30/3/16 को अनावेदक क्र 1 के अधिवक्ता के शीध्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की अनुपस्थिति में प्रकरण में अंतरिम आवेदन पत्र स्वीकार किया गया तथा आगामी तिथि 5/4/16 को पुनः आवेदक की अनुपस्थिति में प्रकरण के एक महत्वपूर्ण पक्षकार जयहिन्द मोहन चौरसिया के विधिक वारसानों को अभिलेख पर लिए जाने के स्थान पर उसका नाम काटे जाने का आदेश पारित कर आगामी तिथि पर आवेदक की अनुपस्थिति में अंतिम तर्क श्रवण कर आदेश पारित किया गया है जो कि स्पष्ट रूप से नैसर्गिक न्याय के विपरीत है तथा अपर आयुक्त सागर द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही विधिक प्रक्रिया व प्रावधान के विपरीत है। इस न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण कमांक 3727—दो/12 में पारित आदेश दिनांक 3—7—2013 के द्वारा निर्देश दिये गये थे कि अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा नक्शे में संशोधन उपरान्त सीमांकन किया जाये तथा इस न्यायालय के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका कमांक 18834/13 में पारित आदेश दिनांक 11—12—2013 के द्वारा यथावत रखा गया था । अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा समस्त जांच उपरांत तथा तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एंव अधीक्षक भू अभिलेख छतरपुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत मौके की स्थिति को ध्यानगत् रखते हुए न्यायसंगत आदेश पारित किया गया है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार उपरांत मैं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश को न्यायसंगत नहीं मानता हूँ।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकर कर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/5/16 निरस्त किया जाता है तथा अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/10/14 यथावत् रखा जाता है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य